

विजय गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार को सीसीटीवी कैमरे के मसले को कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस का कोई औचित्य नहीं है। इससे मामला और उलझ जाएगा।

गुप्ता ने शुक्रवार को जारी अपने एक बयान में कहा कि सरकार 29 जुलाई को इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस मुद्दे पर सार्वजनिक बहस आयोजित करने जा रही है, जिससे इस मुद्दे का हल नहीं निकलेगा, बल्कि यह

उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे की योजना को लेकर दिल्ली सरकार असमंजस में है। एक और लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन उपराज्यपाल द्वारा गठित कमेटी को अवैध और असंवैधानिक बताते हैं, वहीं दूसरी ओर वे उपराज्यपाल से इस कमेटी द्वारा सुझाव प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का निवेदन करते हैं। उनकी मांग है कि 29 जुलाई को होने वाली बैठक में जो सुझाव मिलें, उन पर भी कमेटी विचार करे।

बारिश के कारण आउटर रिग रोड पर ग्रेटर कैलाश मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-3 के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। सड़क की मरम्मत होने तक गेट नंबर-3 से आवाजाही बंद कर दी गई। मेट्रो स्टेशन पर लगी दोनों लिफ्ट भी बंद कर दी गई। डीएमआरसी ने सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है।

मरम्मत के काम में लगे एक कर्मचारी ने बताया कि सड़क के

नमूने पर धंस गई हो।

कर्मचारी ने बताया कि धंसी हुई सड़क के नीचे कंक्रीट भरी जा रही है ताकि भविष्य में यह दोबारा न टूटे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के जनसंपर्क अधिकारी अनुज दयाल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शनिवार तक सड़क की मरम्मत का काम पूरा कर लिया जाएगा।

COURT NOTICE

In The Court of Shri Upendra Singh, Learned JMJC, Yamuna Nagar at Jagadhri

CNR NO.- HRYN03-009911-2017

CIS No.- NIA/1796/2017

Next Date : 01.10.2018

M/s Talwar Timber

Vs Mittal Enterprises

COMPLAINT U/S 138 NIA Act

NOTICE TO: Mittal Enterprises, Through Proprietor Sh. Sanjay Mittal, A-64, Amar Colony, Behind Hanuman Mandir, Dharam Kanta, Nangloi, Delhi-41 (Metro Pillar No. 453-54)

In above titled complaint the accused could not be served through previous processes. It is ordered that the accused should appear in person or through counsel on 01.10.2018 at 9:30am.

For Details log on to www.ecourts.gov.in

Upendra Singh, Judicial Magistrate 1st Class, Yamunanagar at Jagadhri.

COURT NOTICE

In The Court of Shri Upendra Singh, Learned JMJC, Yamuna Nagar at Jagadhri

CNR NO.-HRYN03-009680-2017

CIS No.-NIA-1715/2017

Next Date : 11.09.2018

M/s Talwar Timber

Vs Mittal Enterprises

COMPLAINT U/S 138 NIA Act

Notice To: Mittal Enterprises, Through Proprietor Sh. Sanjay Mittal, A-64, Amar Colony, Behind Hanuman Mandir, Dharam Kanta, Nangloi, Delhi - 41 (Metro Pillar No. 453-54)

In above titled complaint the accused could not be served through previous processes. It is ordered that the accused should appear in person or through counsel on 11.09.2018 at 9:30am.

For Details log on to www.ecourts.gov.in

Upendra Singh, Judicial Magistrate 1st Class, Yamunanagar at Jagadhri.



एन एच पी सी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सै.-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003

दूरभाष नं. : 0129-2254684, फैक्स नं. : 0129-2278018

वेबसाइट: www.nhpcindia.com, ई-मेल : companysecretary@nhpc.nic.in

(सीआईएन) : L40101HR1975G01032564

सूचना

कंपनी के इक्विटी शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करना

कंपनी अधिनियम, 2013 और 28 फरवरी, 2017 को अधिसूचित संशोधन के साथ पढ़े जाने वाले और 7 सितंबर, 2016 से लागू कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार (जिसे सामूहिक रूप से 'आईईपीएफ नियम' के रूप में जाना जाता है) यह सूचना जारी की जाती है।

अन्य मामलों के साथ आईईपीएफ नियम में यह भी प्रावधान है कि लगातार सात साल या उससे अधिक समय से अंशधारकों के जिन अंशों के लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के नाम पर स्थानांतरित किया जाए।

आईईपीएफ नियमों में बताई गई आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, कंपनी ने उन संबंधित अंशधारकों से उनके नवीनतम उपलब्ध पतों पर अलग-अलग संवाद किया है, जिनके अंश उचित कार्रवाई करते हुए आईईपीएफ नियमों के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरण किए जाने हैं।

आगे, आईईपीएफ नियमों के नियम 6 (3) के संदर्भ में, कंपनी ने उन संबंधित अंशधारकों का विवरण जिनके अंश आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जाने हैं कंपनी की वेबसाइट (www.nhpcindia.com) पर लिंक <http://www.nhpcindia.com/writereaddata/Images/pdf/shares%20due%20for%20transfer%20to%20IEPF.pdf> पर भी अपलोड किए हैं।

कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को माना जाना चाहिए और आईईपीएफ को अंशों के हस्तांतरण के संबंध में पर्याप्त सूचना मानी जाएगी।

अंशधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने लाभार्थी खाता संख्या या फोलीओ संख्या का जिक्र करते हुए पैन कार्ड की स्व प्रामाणित प्रति और पते के प्रमाण के साथ कंपनी के पंजीयक और अंश हस्तांतरण अभिकरण कार्यालय कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड को एक औपचारिक पत्र भेजकर 2010-11 से दावा नहीं की गई लाभांश राशि का तत्काल दावा करें।

यदि कंपनी/पंजीयक और अंश हस्तांतरण अभिकरण को 24 अक्टूबर, 2018, या अगली बढ़ाई गई तारीख तक, संबंधित अंशधारकों से कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो आईईपीएफ नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक कंपनी दिना किसी अन्य सूचना के अंशों का हस्तांतरण आईईपीएफ को कर देगी।

अंशधारक कृपया ध्यान दें कि कंपनी अधिनियम, 2013 और आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पालन द्वारा आईईपीएफ को स्थानांतरित दावा-रहित अंश और राशि की वापसी का दावा किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि समय-समय पर संशोधित नियमों के प्रावधानों के अनुसार आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए दावा-रहित राशि और अंशों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जा सकता है।

विषय वस्तु पर किसी भी प्रश्न या स्पष्टीकरण के लिए, अंशधारक निम्न पतों पर संपर्क कर सकते हैं :

एनएचपीसी लिमिटेड

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33,

फरीदाबाद, हरियाणा -121003

दूरभाष: 0129-2254684

फैक्स: 0129-2278018

ई-मेल:

companysecretary@nhpc.nic.in

कार्यालय कम्प्यूटर शेयर प्रा. लिमिटेड

श्री एस. वी. राजू / श्री बालाजी रेड्डी

कार्यालय सेलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट संख्या 31

और 32, गचिबोवली, वित्तीय जिला,

नानकामगुडा, हैदराबाद-500032

दूरभाष: 040-67162222, 33211000

फैक्स: 040-23420814

ई-मेल: einward.ris@karvy.com

वास्ते एवं कृते एनएचपीसी लिमिटेड:

हस्ता / -

(विजय गुप्ता)

कंपनी सचिव

दिनांक : 20.07.2018

स्थान : फरीदाबाद

AJAY KUMAR GARG ENGINEERING COLLEGE

(Approved by AICTE and Affiliated to

Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow)

27th Km. Stone, Delhi-Hapur Bypass Road,

Adhyatmik Nagar Ghaziabad-201009

ADMISSION NOTICE : 2018-19

Registration for Admission against few Vacant / Lapsed seats

B. TECH. I YEAR (4 Year Degree Course)

B.TECH. II YEAR (Lateral Entry)

Branches : CSE/ECE/EN/EI/IT/ME/CIVIL

M.C.A. I YEAR (3 Year PG Course)

MCA II YEAR (Lateral Entry)

Eligibility: As stated in Admission Brochure

UPSEE-2018 and AKTU guidelines.

Note: The Registration Form may be collected from the College Campus and can also be downloaded from the College Website: www.akgec.in. All desirous candidates must also register online at AKTU web portal.

Jansatta - Delhi
21/07/2018